सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, RAJASTHAN
6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर–302004
6-B, JHALANA DOONGRI, JAIPUR-302004
दूरभाष/Phone : 0141- 2708078, 2709177 फैक्स/ Fax: 2707090
ई-मेल/ E-mail : dco-raj.rgi@censusindia.gov.in

N-23017/1/2014-NPR/432 दिनांक 20.10.2015

जिला रजिस्ट्रार, सिविल रजिस्ट्रेशन
(जिला कलक्टर/आयुक्त नगर निगम)

विषयः राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अद्यतन करने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अद्यतन करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डाटा बेस में आधार नम्बर शामिल करना केन्द्र सरकार की प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जाने वाली योजना है। इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान में यह कार्य 10 अक्टूबर 2015 से प्रारम्भ किया जा चुका है। इस संबंध में दिनांक 17 अक्टूबर 2015 को आयोजित अतिरिक्त जिला कलक्टर्स एवं अन्य अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेन्स से ज्ञात हुआ कि इस कार्य की प्रगति बहुत ही धीमी है। इस संबंध में आपसे निवेदन है कि:

1. राजस्थान राज–पत्र में जारी अधिसूचना क्रमांक F.5(902)/DoIT/Tech/15/I/38535/2015 दिनांक 16 सितम्बर 2015 के अनुसार इस कार्य को 10 अक्टूबर 2015 से 09 नवम्बर 2015 तक पूर्ण किये जाने की निर्धारित समय–सीमा को ध्यान में रखते हुए आप वांछित संख्या में प्रगणकों की नियुक्ति कर सकते है ताकि एक प्रगणक को 3–4 ब्लॉक के स्थान पर 1–2 ब्लॉक का कार्य ही करना पड़े।

2. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य हेतु दी गई वेबसाइट npr-rgi.nic.in पर अपने जिले हेतु district admin, district user की Id create कर शीघ्र ही निदेशालय में भेजें तत्पश्चात अपने जिलों के प्रत्येक चार्ज की User Id बनवाकर जिला स्तर पर अनुमोदित करें ताकि चार्ज अधिकारी ब्लाक का कार्य पूर्ण हो जाने पर रिकार्ड जमा करके उसके समेकित गणना सार की प्रविष्टि चार्ज स्तर पर कर सके और कार्य की प्रगति जिला व राज्य स्तर पर ज्ञात हो सके। कई चार्जो में प्रगणकों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अद्यतन कार्य हेतु एक से अधिक ब्लॉक का कार्य आवंटित किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेन्स में हुई चर्चानुसार ब्लॉक का समस्त कार्य पूर्ण करने के पश्चात प्रगणक अपने चार्ज अधिकारी को रिकार्ड जमा करा सकते है एवं पूर्ण किए गए ब्लाक से संबंधित प्रविष्टि चार्ज अधिकारी द्वारा वेबसाइट पर आवश्यक एवं अनिवार्य रूप से करवाई जानी है।

3. इस वेबसाइट के माध्यम से आप ब्लाक के नक्शें की सॉफ्टकॉपी भी आवश्यकता होने पर डाउनलोड कर सकते है।

4. वीडियों कॉन्फ्रेन्स में शिक्षकों को एनपीआर अद्यतन कार्य करने हेतु शिक्षण कार्य में छूट के विषय में प्रश्न जिला स्तर से पूछे गये इस विषय में शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 30.09.2015 को जारी आदेश के अनुसार जनगणना 2011 में जिस प्रकार शिक्षकों को छूट दी गई थी उसी प्रकार 10 अक्टूबर से 9 नवम्बर 2015 तक एनपीआर कार्य हेतु छूट दी जाने के विषय में आदेश जारी किये गये है। इस क्रम में शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का पत्र व जनगणना 2011 के दौरान इस विषय में जारी किए गए आदेश की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

5. वीडियों कॉन्फ्रेन्स में हुई चर्चानुसार जिन ब्लॉक की सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (LRUR) की सॉफ्टकॉपी चार्ज स्तर पर उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है उन ब्लाक हेतु परिवारों की 2010 के दौरान भरी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की अनुसूचियों की TIF Images की प्रति जिलों में भिजवाई जा रही है। परिपत्र संख्या–4 के अनुसार इन ब्लॉकों में एनपीआर अद्यतन कार्य सम्पन्न करवाया जाना है।

6. क्षेत्र कार्य की जांच पर जाने वाले सभी चार्ज अधिकारियों को यह निर्देश प्रदान करें कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के प्रिन्टेड डाटा में सुधार केवल उत्तरदाता से प्राप्त सूचना के अनुसार ही करें। आधार कार्ड के अनुसार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के प्रिन्टेड डाटा में किसी भी स्थिति में संशोधन नहीं किया जाना है।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

20/10/15

(आर.आर.मीना)
संयुक्त निदेशक एवं
नियंत्रक अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण, 2ए मानसिंह रोड़, नई दिल्ली–110 011
2. शासन सचिव, आयोजना, सूचना प्राद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. भारत के अतिरिक्त महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण, 2ए मानसिंह रोड़, नई दिल्ली–110 011
4. डॉ. हंसराज यादव, राज्य समन्वयक (NPR) एवं अतिरिक्त निदेशक (UID), कमरा नम्बर 210, न्यू आईटी बिल्डिंग, योजना भवन, जयपुर
5. श्री एम.एस.भाटी, उप निदेशक एवं नोडल अधिकारी (एनपीआर) – राजस्थान – भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, 2ए, मानसिंह रोड़, नई दिल्ली–110 011
6. समस्त उपनिदेशक/ सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान
7. समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर
8. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सांख्यिकी
9. समस्त जिला प्रभारी – मार्फत उप निदेशक/सहायक निदेशक, सांख्यिकी
10. समस्त तहसीलदार
11. समस्त आयुक्त नगर निगम/ प्रशासक/ अधिशाषी अधिकारी
12. निजी सहायक, संयुक्त निदेशक (नि.अ.) महोदय
13. श्री लोकेश जैन, डीपीए – विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

20/10/15
(पुनीत मेहरोत्रा)
सहायक निदेशक